**व्यक्तियों में दुर्व्यापार (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021**

**सांसदों के विचारार्थ समर्थन नोट**

मानव दुर्व्यापार कोई नया अपराध नहीं है, बल्कि यह 'गुलामी' के रूप में प्रचलित एक पुरानी प्रथा है, जो एक स्वीकृत आर्थिक प्रथा थी। हालांकि गुलामी का वह पारंपरिक रूप अब मौजूद नहीं है, यह मानव दुर्व्यापार के बदले हुए रूप में जीवित है, जिसे अक्सर 'आधुनिक दासता' कहा जाता है। मानव दुर्व्यापार पूरी दुनिया में आज एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में सामने है - यह तीसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक उद्यम है, जो सालाना 150 बिलियन डॉलर की अनुमानित कमाई करता है (ILO, 2014)। मानव दुर्व्यापार की पूरी प्रक्रिया एक अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध है, जो पीड़ितों की पहचान, उन्हें अन्यत्र ले जाने, और उनके शोषण से शुरू होती है, और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निर्बाध रूप से संचालित होता है। यह एक ऐसा बाजार है, जो मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां पीड़ितों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार होता है, उन्हें खरीदा जाता है, बेचा जाता है, व्यापार किया जाता है, और दुनिया भर में सेक्स, सस्ते श्रम, दासता, मानव अंगों, और अश्लील साहित्य, आदि की मांग पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

वर्तमान में, मानव दुर्व्यापार का अपराध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 370 और 370A के अंतर्गत आता है, जो 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से लागू हुआ। व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से किया गया मानव दुर्व्यापार अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आता है। इन प्रावधानों के बावजूद, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा एकत्रित सालाना आंकड़े मानव दुर्व्यापार के मामलों की बढ़ती रुझान दर्शाते हैं, जैसे कि पिछले वर्ष की तुलना में 2019 में इनमें 14.3% की वृद्धि

हुई है। समस्या इस संगठित अपराध के कई पहलुओं से निपटने के लिए कानून में कमियाँ थी। कुछ कमियों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- मानव दुर्व्यापार के जटिल अपराध की जांच करने और उसका मुकाबला करने के लिए किसी विशेष एजेंसी की अनुपस्थिति।
- गंभीर अपराधों या दोषों का कोई वर्गीकरण न होना, जिसके लिए उच्चतर दंड की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि यदि पीड़ित बच्चा है या पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या उस पर तेजाब से हमला किया जाता है या वह किसी जानलेवा बीमारी से संक्रमित हो जाता है या उसे वेश्यालय में बेचा, आदि जाता है, तो सजा समान है।
- अपराध का संगठित पहलू जिसमें संगठित अपराध सिंडिकेट शामिल होते हैं, कानून के दायरे में नहीं आते।
- मानव दुर्व्यापारियों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती का कोई प्रावधान नहीं था, जिसका उपयोग या तो अपराध करने के लिए होता था या जो मानव दुर्व्यापारियों द्वारा अपराध कर प्राप्त की गई थी।
- अदालत में पीड़ित के अनुकूल प्रक्रियाओं का कोई प्रावधान नहीं था और न ही मुकदमे के निबटारे की कोई समयसीमा तय थी। इसके चलते बहुत देर लगती थी और मानव दुर्व्यापारी फरार हो जाते थे।
- वर्तमान कानूनी ढांचे में पीड़ितों का पुनर्वास, पुनर्प्रतिष्ठा और समाज में उनका पुन: एकीकरण पूरी तरह से अनुपस्थित था। यद्यपि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत बच्चों के लिए प्रावधान मौजूद थे; मगर वयस्कों, खासकर उभय-लिंगियों (ट्रांसजेंडरों) के लिए कुछ भी नहीं था।
- पीड़ितों के पुनर्वास की सुविधा के लिए कोई गृह (होम) मौजूद नहीं था, जो एक बड़ी कमी थी, क्योंकि पीड़ितों के मुक्त हो जाने के बाद मुख्य फोकस उनका पुनर्वास होना चाहिए।

- मीडिया की भूमिका को भी, चाहे वह पहचान खुलासा करने का मामला हो या अपराध अंजाम देने लिए मानव दुर्व्यापारियों द्वारा मीडिया के उपयोग का, कानून के तहत शामिल नहीं किया गया था। मीडिया में प्रिंट, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट या साइबरस्पेस, आदि जैसे सभी रूप शामिल हैं।

अतः एक विशेष कानून की तत्काल आवश्यकता थी जो उपरोक्त सभी कमियों को दूर करे और मानव दुर्व्यापार के हर पहलू से निबट सके; जैसे, इसकी रोकथाम, इसका मुकाबला, जांच के लिए विशेष एजेंसियां, मुकदमों के लिए विशेष अदालतें, पुनर्वास, आदि।

सरकार द्वारा पेश किया जा रहा व्यक्तियों में दुर्व्यापार (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 इन पहलुओं को बहुत प्रभावी और व्यापक रूप से संबोधित करता है। यदि इसे संसद द्वारा पारित किया जाता है, तो मानव दुर्व्यापार के जटिल अपराध से निपटने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं:

- मानव दुर्व्यापार से निपटने के लिए विधेयक में एक अच्छी तरह से स्थापित, पूरी तरह कार्यात्मक और प्रतिष्ठित एजेंसी - राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) शामिल है। यह प्रावधान जांच प्रक्रिया को गति देगा और अपराधियों की तेजी से गिरफ्तारी में मदद करेगा, जो आम तौर पर व्यक्ति नहीं बल्कि सिंडिकेट और संगठित आपराधिक समूह होते हैं।
- पीड़ित यदि बच्चा हो तो, विधेयक कड़े प्रावधानों का प्रावधान करता है। बाल दुर्व्यापार के मामले में दुर्व्यापारियों द्वारा प्रयुक्त साधन, जैसे कि धमकी, बल, आदि, मायने नहीं रखते और मानव दुर्व्यापार की व्याख्या में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहां तक कि बच्चे की सहमति भी महत्वहीन है। यदि कोई बाल दुर्व्यापारी शोषण के लिए किसी बच्चे को अन्यत्र ले जाता है या प्राप्त करता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का दुर्व्यापार हुआ है।

- यदि किसी बच्चे के खिलाफ अपराध होता है तो सजा अधिक और श्रेणीबद्ध (ग्रेडेड) होगी। इसका अर्थ है कि यदि बच्चे की आयु 12 वर्ष से कम है, या एक से अधिक बच्चे हैं, तो अधिक सजा मिलेगी।
- वर्तमान महामारी ने दिखाया है कि मानव दुर्व्यापार ऑनलाइन और पीड़ितों के घरों के भीतर भी हो रहा है। विधेयक में एक प्रावधान है कि मानव दुर्व्यापार की परिभाषा मे पीड़ित व्यक्ति को जबरन अन्यत्र ले जाना आवश्यक नहीं है। नया प्रावधान महामारी के दौरान मानव दुर्व्यापारियों द्वारा अपनाए गए दुर्व्यापार के नए रूपों से निपटने में मदद करेगा।
- विधेयक में मानव दुर्व्यापार के 23 संगीन रूपों को शामिल किया गया है। संगीन का तात्पर्य मूलतः उच्चतर दंड से है। विधेयक में शामिल संगीन रूपों के कुछ महत्वपूर्ण रूप हैं - जबरिया या बंधुआ मजदूरी, ट्रैवल एजेंसियां, सर्कस, एसिड अटैक, जननांग विकृति, लगातार निष्क्रिय अवस्था, लोक सेवक द्वारा प्राधिकार का दुरुपयोग कर मानव दुर्व्यापार, आदि।
- पीड़ितों की तत्काल सुरक्षा के लिए संरक्षण गृह और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए पुनर्वास गृह की व्यवस्था उन्हें आघात से बाहर निकलने और बाद में सामान्य जीवन जीने में मदद करेंगी।
- उभयलिंगियों (ट्रांसजेंडरों) के लिए अलग सुरक्षा और पुनर्वास गृह कानून में अपनी तरह का पहला प्रावधान है। यह एक उपेक्षित वर्ग है और इनकी अलग जरूरतें हैं। इनके लिए अलग गृह सरकार का स्वागत योग्य कदम है। कई बार पीड़ितों का पुनर्वास बस दूर की वास्तविकता बन जाता है, क्योंकि अदालती मामले वर्षों तक चलते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, आदि। जबकि पीड़ित को न केवल शारीरिक घाव बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक आघात का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। उनकी सुरक्षा को लगातार खतरा होता है क्योंकि दुर्व्यापारी खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मानव दुर्व्यापार विधेयक इन सभी पहलुओं को संबोधित करता है और स्पष्टता से ऐलान करता है कि पुनर्वास न ही आपराधिक

कार्यवाही पर निर्भर है और न ही इसके परिणाम पर। पुनर्वास प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद शुरू किया जाना है। यह प्रावधान पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत है।

- विधेयक प्राथमिकी दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करने का भी प्रावधान करता है। पुलिस को प्राथमिकी की कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और जिला स्तरीय मानव दुर्व्यापार विरोधी समिति को देनी है। इन अधिकारियों द्वारा इस तत्काल राहत से उनकी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, तथा सामग्री संबन्धित अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- तत्काल राहत का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे के अतिरिक्त है। सरकार पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने और उनके सुखी और सुरक्षित जीवन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
- पीड़ितों का पुनर्दुर्व्यापार (दुबारा दुर्व्यापार) हमेशा से एक गंभीर चिंता का विषय रहा है और इस मुद्दे को विधेयक में कई जगहों पर संबोधित किया गया है, जैसे कि इसकी रोकथाम, पुनर्वास के दौरान विशेष देखभाल, और पुनर्दुर्व्यापार को मानव दुर्व्यापार का एक संगीन रूप मानकर कम-से-कम 10 साल की उच्चतर सजा का प्रावधान जो आजीवन कारावास तक हो सकता है और जुर्माना जो 10 लाख रुपये तक हो सकता है।
- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर मानव दुर्व्यापार विरोधी समितियाँ कानून के समन्वय और उचित कार्यान्वयन में मदद करेंगी। मानव दुर्व्यापार केवल एक जगह तक सीमित नहीं है; इसके स्रोत, पारगमन और गंतव्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा, इस अपराध की आमदनी नकद, बैंक खातों, संपत्ति, आदि के रूप में होती है। इन मामलों से निपटने के लिए कई एजेंसियों का समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण है। विधेयक में प्रस्तावित समितियां समन्वय और विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी।

- राज्य में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी, जो निदेशक पद से नीचे का न हो, कानून की प्रभावी निगरानी के लिए एक बहुत ही उपयोगी प्रावधान है। यह सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- महिलाओं, बच्चों और शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को "अपराधों के अनुमान" के प्रावधान के तहत शामिल कर उन्हें कानून में अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। इसका मतलब यह है कि पीड़ित यदि महिलाएं, बच्चे या शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, तो इसे प्रथम दृष्टि में दुर्व्यापारियों का अपराध माना जाएगा, और मुकदमे के दौरान उन्हें यह साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं। यह आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत का उलटा है, जो है - दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष है!
- विधेयक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संगठित सिंडिकेट और गठजोड़ को तोड़ने के लिए, संपत्ति और बैंक खातों की कुर्की-जब्ती का प्रावधान करता है।
- विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान दुर्व्यापारियों द्वारा एकत्रित और संचित आपराधिक आय का उपयोग पीड़ित के राहत और पुनर्वास से संबन्धित है।

विधेयक की उपरोक्त विशेषताएं कार्यपालिका में हमारे विश्वास और आस्था को मजबूत करती हैं जिसने एक व्यापक और बहुत आवश्यक कानून का मसौदा तैयार किया है। हमारा विश्वास विधायिका में भी कमतर नहीं है और हम आश्वस्त हैं कि वे इस विधेयक को अत्यावश्यक और प्राथमिकता के रूप में लेंगे और संसद में इसके पारित होने का समर्थन करेंगे।

****